सं0 7§8§/संस्था. III/87

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, July 6, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में लेखा परीक्षकों तथा रेलवे लेखा विभाग में उच्च ग्रेड II लिपिकों को जिन्होंने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है 30/-रू0 प्रतिमाह की बढ़ी हुई दर पर अर्हक वेतन मंजूर किए जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर करना ।

.....

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 के इसी संख्या के का0 ज्ञा0 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें उस तारीख से 30/-रू0 प्रतिमाह की बढ़ी हुई दर पर अर्हक वेतन मंजूर किया गया था जिस तारीख से कोई व्यक्ति केन्द्रीय सिविल सेवा §संशोधित वेतन§ नियमावली, 1986 के अन्तर्गत वेतन लेने का चुनाव करता है । इस सम्बन्ध में इस मंत्रालय के ध्यान में कुछ विसंगतियां लाई गई हैं जिनमें ऐसे वरिष्ठ कर्मचारियों जिन्होंने 1.1.73 से पूर्व विभागीय स्थाईकरण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी तथा जिन्हें इस मंत्रालय के दिनांक 28 फरवरी, 1984 के कार्यालय ज्ञापन सं0 7§56§/संस्था. III/78 के अनुसार अर्हक वेतन के अन्तर की राशि मंजूर की गई थी, वे अर्हक वेतन के 15 रू0 से बढ़कर 30/-रू0 हो जाने पर फिर से 1.1.86 से अपने कनिष्ठ सहयोगियों से कम वेतन प्राप्त करने लगे हैं ।

2. मामले पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया गया है । राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय किया है कि ऐसे लेखा परीक्षकों/- ग्रेड II लिपिकों जिन्होंने 1.1.73 से पूर्व विभागीय स्थाईकरण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी तथा जिन्हें इस मंत्रालय के दिनांक 28 फरवरी, 1984 के तहत अर्हक वेतन के अन्तर की राशि मंजूर की गई थी, को विसंगति की तारीख से दोबारा अर्हक वेतन के अन्तर की राशि मंजूर की जाए । इस प्रकार मंजूर किए

..2/-

गए अर्हक वेतन को वरिष्ठ कर्मचारी की वरिष्ठ लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति होने पर कार्यात्मक आधार पर वेतन नियतन के प्रयोजन के लिए भी गिना जाए ।

उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित मामलों में अर्हक वेतन की मंजूरी इसके अलावा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(i) जिस समय ऐसी विसंगति हुई हो उस समय वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मचारी दोनों एक ही संवर्ग से सम्बन्धित हों ।

(ii) जिस समय विसंगति हुई हो, उस समय वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कर्मचारी एक जैसे वेतनमान में लेखा परीक्षक का पद धारण किए हों, तथा

(iii) ऐसी विसंगति प्रत्यक्षत: इस मंत्रालय के का0ज्ञा0सं0 7(8)/संस्था III/87 दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 के अन्तर्गत स्वीकार्य अर्हक वेतन के 15 रू0 प्रतिमाह से बढ़ाकर 30 रू0प्रतिमाह की दर मंजूर किए जाने के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि विसंगति होने से पूर्व, कनिष्ठ कर्मचारी सामान्य नियमों के अन्तर्गत वेतन का नियतन किए जाने अथवा समय-समय पर उसे मंजूर की गई अग्रिम वेतन वृद्धियों के कारण पहले ही वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो तो जैसा कि ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित व्यवस्थाओं में परिकल्पना की गई है, ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी को अर्हक वेतन मंजूर करने के लिए इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबंधों को लागू न किया जाए ।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की व्यवस्थाएं ऐसे अन्य संगठित लेखा संवर्गों पर भी लागू होंगी जहाँ इस मंत्रालय के दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 के का0ज्ञा0 के तहत स्वीकार्य 30 रू0प्रतिमाह के अर्हक वेतन का लाभ इस मंत्रालय की सहमति से दिया गया है ।

5. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं ।

(बी0 कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली ।
3. महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. डाक विभाग, नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उनके अ0सं0पत्र स0
2. लेखा नियंत्रक, रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली ।

.....